"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 जून 2017 —— ज्येष्ठ 24, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-3/तीन (दो)/न.पा./व्यय लेखा/2016/2815 रायपुर, दिनांक 7 जून 2017

1. फोहारा बाई मिरी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पंचायत मारो, जिला बेमेतरा, छ.ग.
2. मीना रामकुमार देशलहरे, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर2015, नगर पंचायत मारो, जिला बेमेतरा, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 7 जून 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बेमेतरा के प्रतिवेदन दिनांक 2 मार्च 2016 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत मारो, जिला बेमेतरा के अध्यक्ष पद के लिये सम्पन्न आम निर्वाचन दिसम्बर 2015 में कुल 2 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 31-12-2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बेमेतरा ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 2-3-2016 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित जानकारी में दर्शाया कि नगर पंचायत मारो, जिला बेमेतरा के आम निर्वाचन दिसम्बर 2015 में अध्यक्ष पद की अभ्यर्थीगण फोहारा बाई मिरी एवं मीना रामकुमार देशलहरे द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 31-12-2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बेमेतरा के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थीगण फोहारा बाई मिरी एवं मीना रामकुमार देशलहरे को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहीं तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण को तामील की गई. उक्त कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थीगण मीना रामकुमार देशलहरे द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में और न ही उसके पश्चात् आज पर्यन्त लिखित जवाब आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया. अतः यह मानकर कि अभ्यर्थी मीना रामकुमार देशलहरे को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

4. अभ्यर्थी फोहारा बाई मिरी ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब (बिना हस्ताक्षर) फैक्स द्वारा मय निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की पावती की छायाप्रति के आयोग कार्यालय में दिनांक 17-6-2016 को तथा बाद में हस्ताक्षरयुक्त जवाब मय शपथ पत्र आयोग कार्यालय में दिनांक 23-1-2017 को प्रस्तुत किया जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 23-2-2016 को जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रभारी श्रीमान बघेल साहब के समक्ष जमा किया था, जबकि पावती में दिनांक 29-2-2016 को निर्वाचन व्यय लेखा प्राप्त करना दर्शित है. उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि नगरपंचायत मारो के चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को (निर्वाचन व्यय) (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) के परिप्रेक्ष्य में जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा किसी भी अधिकारी के द्वारा निर्देशित नहीं किया गया था. वह ग्रामीण अंचल की एक कम पढ़ी लिखी सतनामी महिला है तथा तकनीकी बातों का समुचित ज्ञान नहीं है. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बेमेतरा का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बेमेतरा द्वारा पत्र क्रमांक 8058/न. पं./व्यय. लेखा./2016, दिनांक 14-2-2017 में अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थी फोहारा बाई मिरी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 29-2-2016 को उनके कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया था. अभिमत में अभ्यर्थी के जवाब पर सहानुभूतिपूर्व विचार किये जाने की अनुशंसा की गई है. आयोग द्वारा आहूत किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 29-2-2016 को जिला निर्वाचन अधिकारी बेमेतरा के पास दाखिल किये जाने का उल्लेख किया गया. अभ्यर्थी द्वारा चिकित्सक द्वारा दिनांक 28-2-2016 को जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें दिनांक 19-1-2016 से 28-2-2016 तक उपचार करने का उल्लेख है, भी संलग्न किया गया तथा पूर्व में प्रस्तुत किये गये जवाब में उल्लेखित बातों को दोहराया गया. अभ्यर्थी द्वारा विलंब को माफ कर प्रकरण नस्तीबद्ध किये जाने का निवेदन किया गया.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बेमेतरा ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थीगण फोहारा बाई मिरी एवं मीना रामकुमार देशलहरे ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा** - प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**- अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 30 जनवरी 2016 तक प्रस्तुत करना था. यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बेमेतरा ने परिशिष्ट-36 में प्रतिवेदित जानकारी में इसे दिनांक 29-1-2016 उल्लेखित किया है.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), बेमेतरा के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत मारो जिला बेमेतरा के अध्यक्ष पद हेतु सम्पन्न आम निर्वाचन दिसम्बर 2015 में भाग लेने वाली अभ्यर्थीगण फोहारा बाई मिरी एवं मीना रामकुमार देशलहरे ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अधिसूचित अधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया.

6.1 अभ्यर्थीगण मीना रामकुमार देशलहरे ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में लिखित जवाब न तो निर्धारित समयावधि और न ही आज पर्यन्त आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया.

6.2 अभ्यर्थी फोहारा बाई मिरी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब मय निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की पावती प्रस्तुत किया जिसमें अभ्यर्थी ने दिनांक 23-2-2016 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख करते हुए विलंब से प्रस्तुति का कारण उसका कम पढ़ा-लिखा होना तथा तकनीकी बातों का समुचित ज्ञान न होने कारण हुई भूल दर्शाया. जबकि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पावती में तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिमत में निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने का दिनांक 29-2-2016 उल्लेखित है. चूंकि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुत किया गया है, अत: पावती की दिनांक में उक्त अन्तर होने से प्रकरण के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अभ्यर्थी ने आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन

में जवाब में प्रस्तुत बातों को दोहराते हुए यह भी उल्लेख किया कि वे निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण कमजोर हो गई थी तथा उन्हें टाईफाईड, पीलिया एवं उच्च रक्त चाप की बीमारी हो जाने के कारण निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा तैयार कर प्रस्तुत नहीं कर पाई. अभ्यर्थी द्वारा उपचार के संबंध में चिकित्सक का उपचार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया. इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्व के 2 जवाब में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुति में विलंब का कारण मुख्य रूप से कम पढ़ा लिखा होना एवं तकनीकी बातों का समुचित ज्ञान न होना दर्शाया गया, जबकि बाद में आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुति में विलंब का कारण बीमारी उल्लेखित किया गया एवं चिकित्सक से दिनांक 19-2-2016 से 28-2-2016 तक के उपचार संबंधी प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है. यदि अभ्यर्थी वास्तव में बीमार हुई थी एवं बीमारी की विवशता के कारण निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रही थी तो इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने जवाब में अवश्य करती क्योंकि विलंब का वही वास्तविक आधार होता, परन्तु अभ्यर्थी ने जवाब में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया. अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये अभिमत में भी अभ्यर्थी के कम पढ़ी-लिखी होने तथा चुनाव परिणाम के बाद व्यस्तता के कारण भूलवश व्यय लेखा जमा करने में विलंब हुआ है, का उल्लेख किया गया है, जबकि अभ्यर्थी के बीमार होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा में विलंब का कारण बीमार होना उल्लेखित किया जाना, बाद में विचार कर प्रकरण में कार्रवाई से बचने के लिए तैयार किया गया आधार मात्र है, जिसे सत्य स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है.

अत: उपरोक्त विवेचना से मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण फोहारा बाई मिरी एवं मीना रामकुमार देशलहरे प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थीगण फोहारा बाई मिरी एवं मीना रामकुमार देशलहरे को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 7 जून, 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.